

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: आईडीएसपी/2024/157

दिनांक: 5.4.24

-:: वी.सी. बैठक ::-

अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में शनिवार दिनांक 06.04.2024 को DOIT के माध्यम से प्रातः 11:00 से अपराह्न 01:00 बजे, RHSDP Hall निदेशालय में निम्नलिखित एजेण्डा बिन्दुओं पर समीक्षात्मक बैठक, विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

- Seasonal Diseases
- Fire NOC
- General Instructions
- Land Availability for civil construction.
- Any other issue as per Chair.

निम्नलिखित अधिकारियों की समस्त सूचना के साथ बैठक में उपस्थिति प्रार्थनीय है:-

प्रतिभागी राज्य स्तर (RHSDP Hall)	प्रतिभागी जिला स्तर
<ul style="list-style-type: none">• मिशन निदेशक, एनएचएम।• आयुक्त चिकित्सा शिक्षा।• निदेशक स्वायत्त शासन, राजस्थान।• निदेशक जन स्वा.।• मुख्य अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वा. विभाग/एनएचएम।• अति० निदेशक ग्रा. स्वा./चि. प्र./राजपत्रित।• संयुक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.)/मलेरिया/आपदा।• उप निदेशक (मलेरिया)।• एसएनओ एमएनडीवाई/एमएनजेवाई।• स्टेट आईडीएसपी एवं एनवीवीडीसीपी टीम।	<p>समस्त,</p> <ul style="list-style-type: none">• प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज।• अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज अस्पताल।• विभागाध्यक्ष, माईक्रोबायोलोजी,• संयुक्त निदेशक जोन।• मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।• अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/एनएचएम।• प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।• स्वास्थ्य अधिकारी/प्रतिनिधि नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद• उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी (स्वास्थ्य)• सेन्टीनल सर्विलेस हॉस्पिटल, (एसएसएच) लैब इन्चार्ज।• जिला ऐपिडिमियोलोजिस्ट, एन्टोमोलोजिस्ट एवं वीवीडी सलाहकार।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ रवि प्रकाश माथुर)
निदेशक (जन०स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: आईडीएसपी/2024/157

दिनांक: 05/04/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सहायक, मिशन निदेशक, एनएचएम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सहायक, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक (स्वायत्त शासन), राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा./आरसीएच) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक (ग्रा. स्वा.)/(चि.प्र.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
8. समस्त अधीक्षक, संलग्न मेडिकल, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त संयुक्त निदेशक जोन राजस्थान।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान को भेजकर लेख है कि संबंधित को अपने स्तर से सूचित करना सुनिश्चित करें।
11. समस्त संबंधित को सूचनार्थ।
12. जन सम्पर्क अधिकारी/एसीपी पीएच, मुख्यालय।
13. एसीपी, एनएचएम को भेजकर लेख है कि मय लेपटॉप के साथ वीसी हेतु आवश्यक व्यवस्था करावें।
14. स्टोर अधिकारी, एनएचएम को भेजकर लेख है कि उक्त वीसी मिटिंग हेतु हॉल बुक करना सुनिश्चित करें।
15. सीडी स्टोर, मुख्यालय।
16. प्रभारी, सर्वर रूम भेजकर लेख है कि संबंधित को ई मेल एवं वेब साइट पर अपलोड करने वायत्।
17. रक्षित पत्रावली।

(A)

निदेशक (जन0स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर